प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार
समस्त, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय /इण्टरमीडिएट/उच्च शिक्षण संस्थान
जनपद–गाजियाबाद।

पत्रांक– स्मार्ट फोन/18621–23 /2016–17 दिनांक–2-1-2017

विषय– समाजवादी स्मार्ट फोन वितरण योजना के प्रचार प्रसार एवं निर्धारित वेबसाईट पर ऑन लाईन पंजीकरण/आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद कार्यालय के पत्रांक–1386/स्मार्ट फोन/2016–17 दिनांक–02.11.2016 के क्रम में कार्यालय के पूर्व पत्र–एस0टी0–2/17295–97/2016–17 दिनांक–16.11.2016, स्मार्ट फोन/18379–81/2016–17दिनांक–26.12.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि समाजवादी स्मर्ट फोन वितरण योजना के अन्तर्गत निर्धारित वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीकरण/आवेदन की अवधि पूर्व में 10 अक्टूबर 2016 से 10 नवम्बर 2016 निर्धारित की गयी थी। अवगत कराना है **कि उक्त पंजीकरण अवधि 31 जनवरी 2017 तक बढा दी गयी है।** वेबसाईट पर दिनांक–31.01.2017 तक ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु पात्रता का विवरण निम्नवत् है–

1– **आवेदक कम से कम हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।**

2– **आवेदक या उसके अभिभावक श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 के शासकीय अधिकारी न हो और आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रू0 से कम होनी चाहिए।**

3– **आवेदक उ0प्र0 का निवासी हों एवं आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रूपये से कम है, तो परिवार का प्रत्येक हाईस्कूल/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सदस्य जिसकी आयु 01.01.2017 को 18 वर्ष या उससे अधिक है,निशुःल्क स्मार्ट फोन प्राप्त कर सकता है।**

4– **निशुःल्क स्मार्ट फोन को प्राप्त करने हेतु www.samajwadisp.in वेबसाईट पर दिनांक–31.01.2017 तक ऑनलाईन पंजीकरण/आवेदन कराना अनिवार्य होगा।**

उक्त योजनान्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा शिक्षा विभाग हेतु 30,000 पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी प्रधानाचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार अपने विद्यालय/संस्थान में योजना का व्यापक प्रचार– प्रसार करें। जिससे सभी पात्र जन समायान्तर्गत ऑन लाईन पंजीकरण करा सकें, तथा आपके संस्थान द्वारा कुल पंजीकरण कराये गये लाभार्थियों की संख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।

पृ0सं0– स्मार्ट फोन/ /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।